

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू० / IDSP / दि० नि० / 7 / 2013-14 /

दिनांक: 26/3/14

विषय : इन्टीग्रेटेड डिजीज सर्विलेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपदवार, गतिविधिवार तृतीय किस्त हेतु अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आर०ओ०पी० 2013-14 के एफ०एम०आर० कोड सं०-ई के अन्तर्गत रू० 889.62 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

2. अवगत कराना है कि इन्टीग्रेटेड डिजीज सर्विलेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराए गए फांट के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में रू० 267.69841 लाख एवं द्वितीय किस्त के रूप में रू० 174.237 लाख इस प्रकार रू० 441.93541 लाख की धनराशि का आवंटन जनपदों को किया जा चुका है।

3. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के माह फरवरी 2014 के मानदेय हेतु राज्य सर्विलेन्स अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार मदवार रू० 25.35300 लाख की धनराशि की फांट के अनुसार, जनपदों में शेष अनकमिटेड धनराशि को घटाते हुये एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के अनरोध के क्रम में जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रू० 27.57350 लाख की धनराशि अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका के अनुसार अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है-

(Amount in Rs)

SN	Name of District	Remuneration Form Contractual Human Resource			Total DAP	Balance in districts after 2nd released	Total amount to be released
		Epidemiologist (Rs. 27500-44000) E.2.1	Data Manager (Rs. 18000 per Mth) E.3.2	Data Entry Operator (Rs. 11000/mth) E.3.3			
1	Agra	34650	18000	11000	63650		63650
2	Aligarh	-	18000	11000	29000		29000
3	Allahabad	29700	18000	-	47700		47700
4	Ambedkar Nagar	-	-	-	0	720930	0
5	Auraiya		18000	-	18000		18000
6	Azamgarh	30250	-	11000	41250		41250
7	Badaun	35750	18000	11000	64750		64750
8	Baghpat	-	-	-	0	582818	0
9	Bahraich	33550	18000	11000	62550		62550
10	Ballia	-	18000	-	18000		18000

SN	Name of District	Remuneration Form Contractual Human Resource			Total DAP	Balance in districts after 2nd released	Total amount to be released
		Epidemiologist (Rs. 27500- 44000) E.2.1	Data Manager (Rs. 18000 per Mth) E.3.2	Data Entry Operator (Rs. 11000/mth) E.3.3			
55	Meerut	40700		22000	62700		62700
56	Mirzapur	28600	18000	-	46600		46600
57	Moradabad	31350	18000	-	49350		49350
58	Muzaffarnagar	-	18000	11000	29000		29000
59	Pilibhit	-	18000	11000	29000		29000
60	Pratapgarh	31900	-	11000	42900		42900
61	Raebareilly	36300	18000	11000	65300		65300
62	Rampur	-	-	-	0	93936	0
63	Saharanpur	-	18000	11000	29000		29000
64	Sant Kabir Nagar	-	-	11000	11000		11000
65	Shahjahanpur	29700	18000	-	47700		47700
66	Shrawasti	-	18000	-	18000		18000
67	Siddharthanagar	27500	18000	-	45500		45500
68	Sitapur	33000	18000	-	51000		51000
69	Sonbhadra	-	-	11000	11000		11000
70	Sultanpur	-	18000	11000	29000		29000
71	Unnao	-	18000	-	18000		18000
72	Varanasi	31900	18000	22000	71900		71900
73	Sambhal	-	-	-	0	0	0
74	Shamli	-	-	-	0	0	0
75	Hapur	-	-	-	0	0	0
<b>Total</b>		<b>1153350</b>	<b>882000</b>	<b>539000</b>	<b>2574350</b>	<b>2660174</b>	<b>2535300</b>
<b>1st and 2nd installment to be released to DHS, Faizabad as proposed by CMO, Faizabad</b>					430000	139014	Rs. 68936.00 already released in 2nd installment, Rs. 222050.00 to be released
<b>Grand Total</b>		<b>1153350</b>	<b>882000</b>	<b>539000</b>	<b>3004350</b>	<b>2799188</b>	<b>2757350</b>

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

5. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इस कार्यालय/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

6. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी

17. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू० / IDSP / दि० नि० / 07 / 2013-14 / 86436-75-10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन/राष्ट्रीय कार्यक्रम, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, इन्टीग्रेटेड डिजीज सर्विलेन्स प्रोग्राम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जनपदों को निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०आर०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०आर०एच०एम० की वेबसाइट- [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

  
(अमित कुमार घोष)  
मिशन निदेशक